फर्द अहकाम

कालू राम व अन्य बनाम जगदीश नारायण व अन्य

र संख्याः 62/2024

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.2024	पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित, प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण रूप से डिक्री फरमाकर खसरा नम्बर 65 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.34 हैक्टयर, वाके ग्राम दांतली पटवार हल्का दांतली भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर जिसमें वादीगण एक मात्र रिकार्डेड काश्तकार के रूप में तन्हा काबिज काश्त है में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 किसी प्रकार से वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, न किसी अन्य से करावे, वादीगण जबरन बेदखल न करे, अन्य किसी से करावे, किसी प्रकार का मजाहमत अवैध (निर्माण) कार्य आदि नही करे, अन्य किसी से करावे व वादीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण सीमाज्ञान का प्रार्थना तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादिया की वाके ग्राम दांतली पटवार हल्का दांतली भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 65 रकवा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.34 हैक्टयर की सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह कायम कर सीमाचिन्ह होने के पश्चात् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की भूमि की सीमा में दखल नही देवे। निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:52:16 IST
Reason: SelfAttested